प्रेषक,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

सेवा में,

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक(नाम से),
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–मा0शि0प0/केन्द्रस्थापना/सोलह/ 335 दिनांक 19/11/19

विषय– वर्ष 2020 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं हेतु ऑनलाइन चयनित परीक्षा केन्द्रों का भलीभाँति परीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया परिषद द्वारा आयोजित **वर्ष 2020** की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं हेतु शासनादेश संख्या 1701/15–7–2019–1(31)/2019 दिनाक 16 अक्टूबर, 2019 के अनुपालन में ऑनलाइन साफ्टवेयर द्वारा चयनित एवं ऑनलाइन प्रेषित परीक्षा केन्द्रों की छात्र आवंटन सहित केन्द्र निर्धारण सूची का संदर्भ ग्रहण करें, जिस पर आपत्तियां आमंत्रित कर उनका युक्ति–युक्त कारण सहित औचित्यपूर्ण निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में जनपदीय समिति के अवलोकनार्थ एवं परीक्षण हेतु प्रेषित है।

ज्ञातव्य है कि परिषद द्वारा आयोजित **वर्ष 2020** की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में नकल की प्रवृत्ति/सम्भावनाओं पर अंकुश लगाने, परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता, गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता तथा विधि–व्यवस्था बनाये रखने, **हेतु शासन/परिषद दृढ संकल्प है। शासन की मंशा के अनुरूप वर्ष 2020** की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं हेतु साफ्टवेयर द्वारा पूर्णतया निष्पक्षभाव से पारदर्शितापूर्ण ऑनलाइन प्रविधि से चयनित कराये गये परीक्षा केन्द्रों को भलीभांति परीक्षण के उपरान्त ही संस्तुत किया जाय। **इस कम में यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि पुष्टित आधार पर ही केवल पूर्णरूप से अर्ह विद्यालय ही परीक्षा केन्द्र प्रस्तावित संस्तुत किये जाय, जिससे किसी भी प्रकार की विसंगति न हो और शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।**

आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात जो भी युक्तियुक्त संशोधन किये जायेगे, उन्हें परिषद की वेबसाइट पर जिला विद्यालय निरीक्षक के पैनल पर आनलाइन अपडेट किया जायेगा। समस्त वांछित संशोधनों को परिषद की वेबसाइट पर अपडेट कर लेने के उपरान्त संशोधित केन्द्र निर्धारण प्रस्ताव डाउनलोड करके उसकी हार्ड कापी को जनपदीय समिति के अध्यक्ष सहित समस्त सदस्यों से हस्ताक्षरित करके उसे परिषदीय केन्द्र निर्धारण समिति के अनुमोदन हेतु परिषद मुख्यालय को दिनांक 28–11–2019 तक उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। निस्तारित आपत्तियों के संशोधनों को अपडेट करने हेतु परिषद की वेबासाइट दिनांक 20–11–2019 से दिनांक 27–11–2019 तक कियाशील रहेगी।

कृपया परीक्षा केन्द्र निर्धारण नीति शासनादेश दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 में विहित व्यवस्थाओं का पूर्णतया अनुपालन करते हुए **शासनादेश संख्या 1825/15–7–2019–1(31)/2019 टीसी–1 दिनांक 14 नवम्बर, 2019** द्वारा संशोधित समय सारिणी के अनुसार समयान्तर्गत परीक्षा केन्द्र निर्धारण की कार्यवाही को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें, **जिससे शासन की मंशा के अनुरूप नकल विहीन परीक्षा सम्पन्न कराई जा सके।**

भवदीय,

(नीना श्रीवास्तव)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–मा0शि0प0/केन्द्रस्थापना/सोलह/335-6 दिनांक 19/11/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1– वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति मा0शि0प0 उत्तर प्रदेश शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड लखनऊ के अवलोकनार्थ।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) उत्तर प्रदेश।
5– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/प्रयागराज/ वाराणसी एवं गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने परिक्षेत्र के जनपदों के परीक्षा केन्द्र निर्धारण की कार्यवाही का अनुश्रवण करते हुए पूर्ण करायें, जिससे शासन **की नकल विहीन परीक्षा कराये जाने की मंशा का पूर्णतया अनुपालन सम्भव हो सके।**

19.11.19
(नीना श्रीवास्तव)
सचिव।